



2026:AHC: 53896

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 4789/2026

अमित कुमार शर्मा उर्फ बबलू शर्मा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: जुनैद आलम, मिथिलेश कुमार शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अनुराग पांडेय को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक को विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- रेल बाजार, जिला- कानपुर नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 93 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा- 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 351(3), 352 के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, अभियोजन की कहानी के अनुसार, आवेदक ने गरीब आवास योजना के अंतर्गत एक घर का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए प्रथम सूचनादाता से 20,000/- रुपये की राशि लिया था, लेकिन उपरोक्त राशि प्राप्त करने के बावजूद, आवेदक आवंटन सुरक्षित नहीं कर सका। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक एक अधिवक्ता है और उसने उक्त योजना के अंतर्गत आवंटन की प्रक्रिया के लिए अपनी शुल्क के रूप में 20,000/- रुपये की राशि ली थी, लेकिन कुछ कारणों से, प्रथम सूचनादाता को आवंटन नहीं किया जा सका। इसलिए, आवेदक केवल अपनी सद्भावना दिखाने के लिए प्रथम सूचनादाता को 20,000/- रुपये की पूर्वोक्त राशि वापस करने का इच्छुक है। आवेदक ने प्रथम सूचनादाता को देय 20,000/- रुपये

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है, दिनांक 13.03.2026, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है, जिसकी संख्या 453269 है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उक्त ड्राफ्ट को अवर न्यायालय के समक्ष जमा करेगा ताकि प्रथम सूचनादाता इसे प्राप्त कर सके। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने तीन प्रकरणों के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान वाद में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए, अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक विधि का पालन करने वाला नागरिक है और वह 07.11.2025 से कारागार में है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

4- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन पूर्वोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5- वाद के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और अत्यधिक भीड़ वाली जेलों तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक वादों के भारी लंबन को संज्ञान में लेते हुए, साथ ही कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एससीसी आनलाइन एससी 3038 में प्रतिवेदित वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेश पर विचार करते हुए और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी यह राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6- पूर्वोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **अमित कुमार शर्मा उर्फ बबलू शर्मा** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि, उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

ii- आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे ईमानदारी से विचारण/विवेचना में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii- आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या कोई अपराध करने में लिप्त नहीं होगा।

iv- आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

v- आवेदक इस जमानत आवेदन के लिए प्रतिभूतियां प्रस्तुत करते समय 20,000/- रुपये का पूर्वोक्त ड्राफ्ट अवर न्यायालय के समक्ष जमा करेगा, और अवर न्यायालय उसके वचन-पत्र के अनुसार, प्रथम सूचनादाता द्वारा इस संबंध में एक आवेदन दाखिल करने पर, उक्त ड्राफ्ट को उसे जारी करेगा।

7- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8- बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

9- यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और इस वचन-पत्र के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी, संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित, इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाए।

10- यह आगे निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम(बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश भेजेगा।

11- कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति, संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, 31.01.2023 निर्णीत और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित वाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कारागार अधीक्षक के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

17 मार्च, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एसए

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।